मूल्य रु. 300 + 54 = 354/–

# राजस्थान आवासन मण्डल

**"पंजीकरण योजना वर्ष 2023"**

**( आवासीय योजना, शिवाजी नगर डुंगरपुर )**

**आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का**

## कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ऑन लाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध | : **01.03.2023 से 31.03.2023 तक** |
| 2. | ऑन लाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | : **31.03.2023** |
| 3. | योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | **अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।** |
| 4. | अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | |
| 5. | वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान | |
| 6. | वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान | |

## सम्पर्क सूत्र

| आवासीय अभियन्ता | उप आवासन आयुक्त, |
|---|---|
| राजस्थान आवासन मण्डल,<br>खण्ड–उदयपुर<br>मोबाईल नं. 9983993915 | राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–उदयपुर<br>पारस तिराहा, सेक्टर–11, हिरण मगरी,<br>उदयपुर<br>मोबाईल नं. 9983993914 |

**विशेषः**

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैक के माध्यम से/क्रेडिट/डेबिट कार्ड के मार्फत जमा करवाया जा सकता है शिवाजी नगर, डुंगरपुर योजना हेतु चालान प्रिन्ट कर **AU SMALL FINANCE BANK LIMITED बैंक, रेती स्टेण्ड, अनिता माया ट्रावेल्स के पास, डुंगरपुर** के खाता संख्या **1000000000000192** आई.एफ.एस.सी. कोड **AUBL0002239** में किसी भी बैक से जमा करवा सकते है।

# राजस्थान आवासन मण्डल

**''पंजीकरण योजना वर्ष 2023''**
**(शिवाजी नगर आवासीय योजना, डुंगरपुर )**
**आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व**
**मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु**
**आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण**

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **अधिनियम – 4 वर्ष 1970** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रुप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्क संगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

## ''पंजीकरण योजना वर्ष 2023''
## ( शिवाजी नगर आवासीय योजना, डुंगरपुर )

आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद डुंगरपुर आवासीय योजना हेतु (पंजीकरण योजना वर्ष 2023) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग 'अ' के कुल–63 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

### तालिका–1
### आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :–

| क्र. सं. | आय वर्ग | अनुमानित संख्या | भूखण्ड का क्षेत्रफल (मीटर में) | अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर में | अनुमानित लागत (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 14 | 3.75 मी. X 8.00 मी. (30.00 वर्गमीटर) | 22.23 वर्गमीटर | 06.47 |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 33 | 6.00 मी. X 11.25 मी. (67.50 वर्गमीटर) | 33.75 वर्गमीटर | 13.15 |
| 3. | मध्यम आय वर्ग 'अ' | 16 | 6.00 मी. X 15.00 मी. (90.00 वर्गमीटर) | 63.34 वर्गमीटर | 22.94 |

**नोट :–**

(i) आवासों का अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत ही बताई जा रही है, जिसमें कमी अथवा बढोतरी हो सकती है। चूंकि मण्डल आवासों का आवंटन ''बिना लाभ बिना हानि सिद्धान्त'' के आधार पर करता है। अतः मण्डल द्वारा आवास की अन्तिम रुप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

**आवासीय योजना की विशेषताऐं :–**

शिवाजी नगर योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रेलवे स्टेशन | 4.0 कि.मी. |
| 2. | बस स्टेशन | 1.0 कि.मी. |

**पंजीकरण की पात्रता एवं शर्ते :–**

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. राजस्थान आवासन मण्डल में कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक पंजीकरण करवा सकता है। आवेदन पत्र भरने की तिथि वयस्क भारतीय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। यदि किसी आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी शहर में किसी भी पद्वति यथा सामान्य/विशिष्ठ पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है वह भी इस योजना में आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाने के पात्र होंगे।

2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)

3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :–

   आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :–

   मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान अग्रानुसार किया गया हैः–

## तालिका 2

| क्र. सं. | वर्ग | आवेदक की श्रेणी | प्रश्नगत अधिसूचना की पालना में समायोजित | | | कुल योग प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामान्य (प्रतिशत) | (जी–9) दिव्यांग 5 प्रतिशत | निराश्रित एवं भूमिहीन (जी–11) एकल महिला 10 प्रतिशत | |
| 1 | जी–1 (i) | राज्य सरकार /बोर्ड/निगम/ प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कमचारी सरकारी कर्मचारी की विधवायें (कर्मचारी की मृत्यु से) 10 वर्ष तक केन्द्र सरकार के कर्मचारी | 8.50 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |
| | (ii) | वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक/सीमा सुरक्षाबल/केन्द्रिय औधोगिक सुरक्षाबल/केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल के रक्षाकर्मीसैनिक विधवायें/ बीरांगनायें (स्थल सेना को प्राथमिकता) | 8.50 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |
| 2 | जी–2 (i) | सामान्य श्रेणी | 33.58 | 1.98 | 3.95 | 39.50 |
| | (ii) | प्रोफेशनल श्रेणी (केवल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर) | 4.25 | 0.25 | 0.50 | 5.00 |
| 3 | जी–3 | राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी) | 0.85 | 0.05 | 0.10 | 1.00 |
| 4 | जी–4 | अनुसूचित जाति | 13.60 | 0.80 | 1.60 | 16.00 |
| 5 | जी–5 | अनुसूचित जन जाति | 10.20 | 0.60 | 1.20 | 12.00 |
| 6 | जी–6 | वर्तमान भूतपूर्व विधायक/सांसद | 0.85 | 0.05 | 0.10 | 1.00 |
| 7 | जी–7 | स्वतंत्रता सैनानी | 0.43 | 0.03 | 0.05 | 0.50 |
| 8 | जी–8 | अधिस्वीकृत पत्रकार | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 2.00 |
| 9 | जी–9 | वीरता प्राप्त सैनिक एवं एशियाड /ओलम्पिक पद प्राप्त खिलाडी | 0.85 | 0.05 | 0.10 | 1.00 |
| 10 | जी–10 | परलैंगिक (ट्रांसजेण्डर)व्यक्ति | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 2.00 |
| | | **योग** | **85.00** | **5.00** | **10.00** | **100.00** |

नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2–I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2–I) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रुप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ–पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।''

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :–

## तालिका –3

| क्र. सं. | आयवर्ग | वार्षिक आय (रुपये में) | पंजीकरण राशि + जीएसटी (रुपये में) | प्रोसेसिंग फीस + जीएसटी (रुपये में) | कुल जमा योग्य राशि (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 300000/– तक | 7000/– + 5% अर्थात कुल राशि 7350/- | 500/– +18% अर्थात कुल राशि 590/- | 7940/- |
| 2 | अल्प आय वर्ग | 300001/– से 600000/– तक | 15000/– + 5% अर्थात कुल राशि 15750/- | 700/– +18% अर्थात कुल राशि 826/- | 16576/- |
| 3 | मध्यम आय वर्ग 'अ' | 600001/– से 1200000/– तक | 50000/– + 5% अर्थात कुल राशि 52500/- | 1000/– +18% अर्थात कुल राशि 1180/- | 53680/- |

9. आवासों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।

10. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

12. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।

13. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 500/– + 18 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग के आवेदक हेतु राशि रूपये 700/– + 18 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग 'अ' के आवेदक हेतु राशि रूपये 1000/– + 18, देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

15. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका–4 अनुसार हैः–
आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त. पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

## तालिका –4–अ

| क्र. सं. | आय वर्ग | पंजीकरण राशि | पूर्वग्रहण राशि किश्त (रूपये में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | **योग** |
| 1 | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | **15000** |
| 2 | अल्प आय वर्ग | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | **30000** |

## तालिका –4–ब

| क्र. सं. | आय वर्ग | पंजीकरण राशि | पूर्वग्रहण राशि की किश्ते अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत – पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत (रूपये में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रथम | प्रथम | प्रथम |
| 3 | मध्यम आय वर्ग 'अ' | 50000 | 35% | 30% | 30% |

16. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

17. आवेदकों को **बिन्दु सं. 15** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।

18. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

19. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

20. प्रस्तावित योजना यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से मूर्तरुप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

21. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

22. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

23. किराया क्रय पद्धति से आवास आवंटित होने पर तथा आवास का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत् आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन–पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास की एक मुश्त (नगद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित आवास की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरुप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात् आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन–पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। यदि उक्त पंजीकरण योजना रेरा से रजिस्टर्ड है तो आदेश–807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार कटौती की जावेगी।

25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख–रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगेः–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि : यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

(i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है, नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

(ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।

27. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :–

1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

31. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में मकान/फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में मकान/फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा एवं इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले मकान/फ्लैट प्रस्तावित डिजाईन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।

32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात संख्या, दिनांक तथा सम्बंधित बैंक जिससे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक शिवाजी नगर योजना हेतु ''राजस्थान आवासन मण्डल, डुंगरपुर'' के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, डुंगरपुर अथवा उप आवासन आयुक्त, वृत्त–उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर 11, हिरण मगरी, उदयपुर के पते पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रुप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

35.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, डुंगरपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

36. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

39. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।

40. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।

41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

## महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।

iii. आवेदन–पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण–पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।

iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. ''आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।

vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद **डुंगरपुर** शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।

xii. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) इन्टरनेट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रू 354/– की डीडी/पे–ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदक का
फोटो

**सभी आवेदकों के लिए**

# शपथ पत्र

मैं ................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ........................................................ आयु. ..................वर्ष, जाति............................ निवासी ................................................................................................ ............................एतद्द्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रुप से पालन करुंगा/करुंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

## सत्यनिष्ठा

मैं ........................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...................................................... निवासी .................................................................................. सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 7 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

**गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए**
**आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र**
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

# शपथ–पत्र

मैं ..............................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ........................................................आयु........ ........... जाति ...................... निवासी ....................................................................................................... .............(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:–

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2022–23 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी–

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से .......................... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोंतों से वार्षिक आय ..........................................रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में मेरे परिवार की कुल आमदनी .......................रुपये थी।

**शपथ ग्रहिता**
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

# सत्यापन

मैं .............................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..................................................... जाति ...................... निवासी ..................................................................................................... सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

**शपथ ग्रहिता**
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

(शपथ पत्र 100/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

**वेतनभोगी आवेदकों के लिए**

# आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.................................................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ............................................................इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .......................................... में........................................................ पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2022–23 की सकल वार्षिक आय रुपये ....................................थी।

क्रमांक/दिनांक ..............................

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

---

# अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/........................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ............................................................ निवासी ..................................................... ...................... जिला ............................संभाग..............................राज्य .................................जाति ......... .........के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

**स्वतंत्रता सैनानियों के लिए**

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री......................................................... निवासी ........................................... जिला ............................ स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष ................... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र–पत्र/प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है।

**हस्ताक्षर**

**जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव**
**(सामान्य प्रशासन विभाग)**
**राजस्थान सरकार, जयपुर**

---

**शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए**

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....................................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री......................................................... निवासी ............................................... ने वर्ष ................. में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

**सचिव**
**राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड**

**अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए**

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ............................................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री............................................................ निवासी ग्राम......................................... जिला .............................. अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .............................. ........................................................................................ नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

**हस्ताक्षर**

**सक्षम अधिकारी**
**सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय**

---

**भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र**

## प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ......................................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री....................................................निवासी.................................................................................. ......... ........... सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग सैनिक है।

**सचिव**
**राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड**

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)

**राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए**

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ........................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.................................................................. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .................................... से सत्र .............................. में सदस्य हैं।

**हस्ताक्षर**

**महासचिव/सचिव**<br>**लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय**

---

**भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए**

## प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ........................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.................................................................. विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .................................... से सत्र .............................. में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

**हस्ताक्षर**

**महासचिव/सचिव**<br>**लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा**<br>**सचिवालय**

**TYPE DESIGN OF PLOT SIZE**
**3.75 X 8.00 M ( E.W.S )DUNGARPUR**

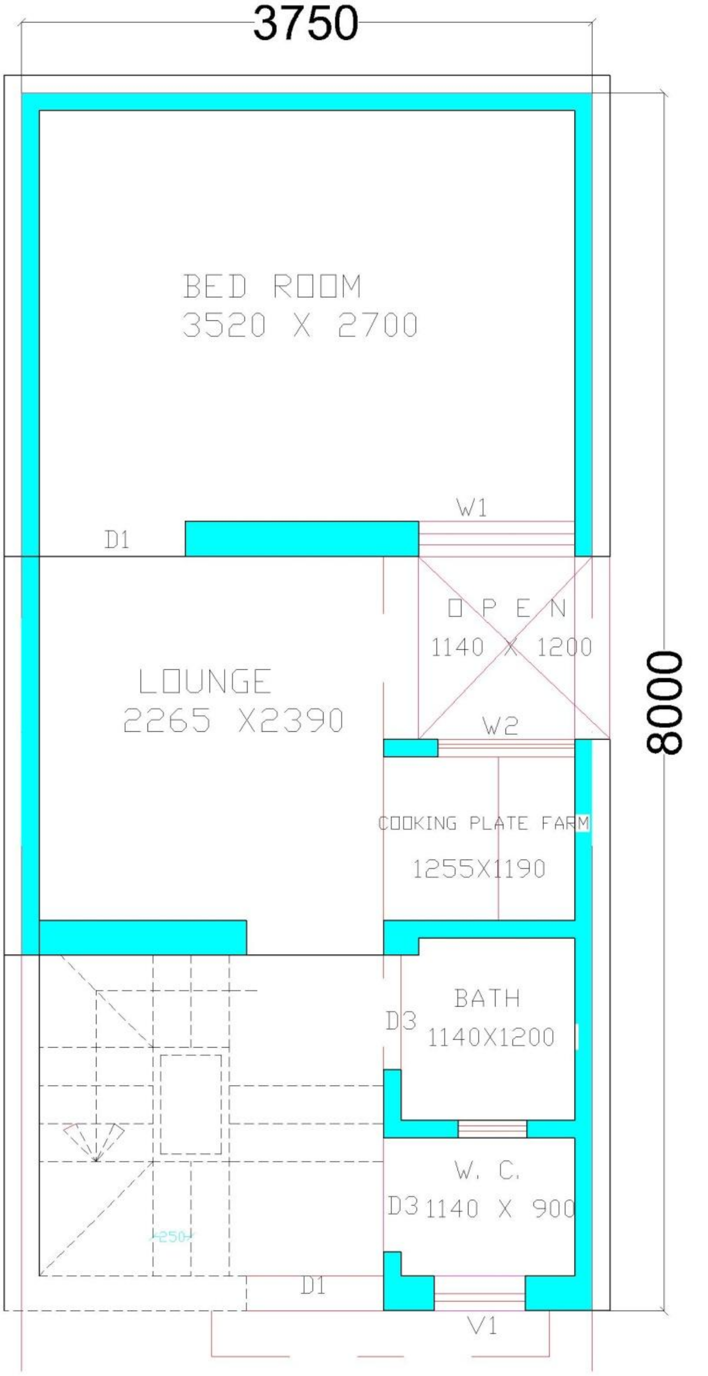


# GROUND FLOOR PLAN

## TYPE DESIGN OF PLOT SIZE 6.00 X 11.25 M ( L.I.G ) DUNGAPUR

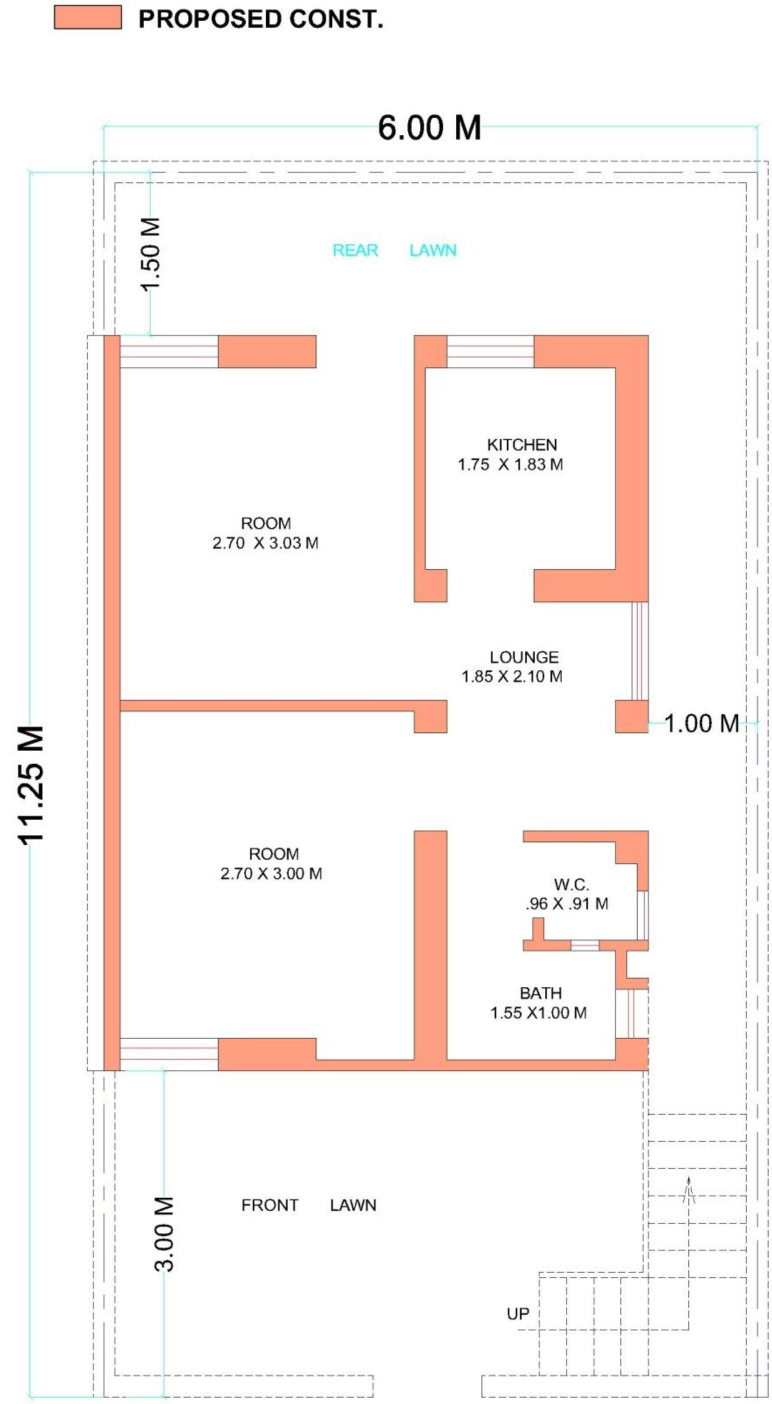


GROUND FLOOR PLAN

# TYPE DESIGN OF PLOT SIZE
# 6.00 X 15.00 M DUNGAPUR

PROPOSED CONST.

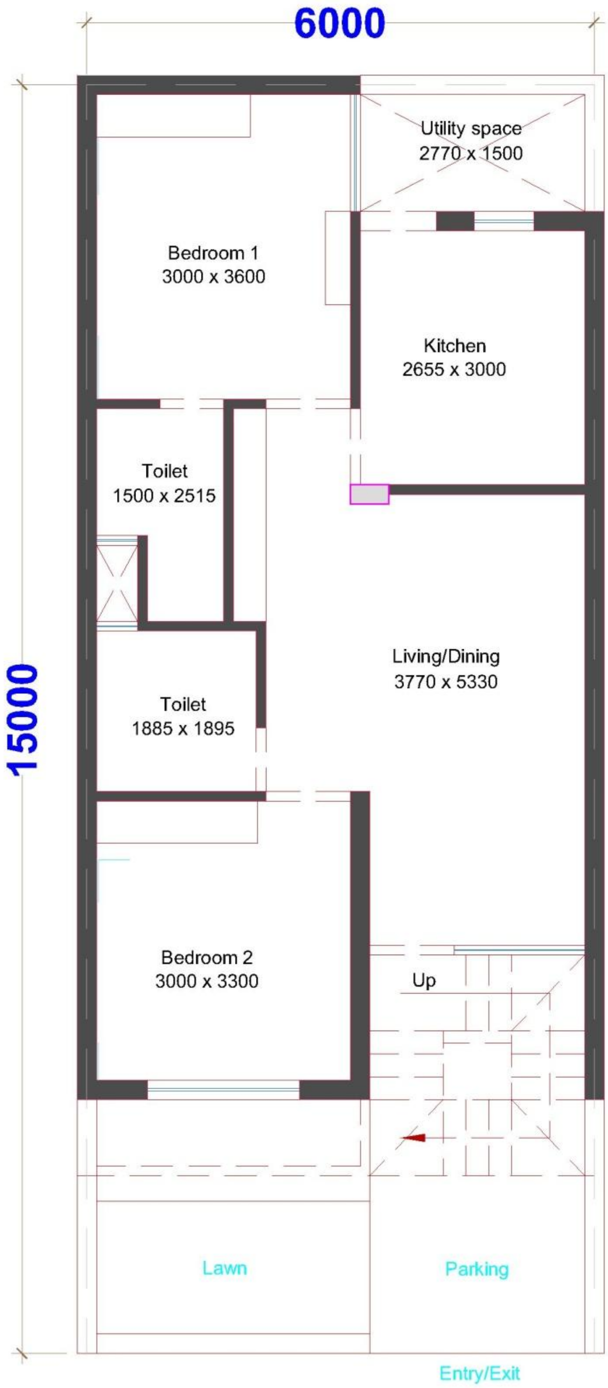


## GROUND FLOOR PLAN